उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या : 99/2016/1542/छप्पन-2016-93/2015 टी0सी0-।।

लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग **वित्तीय वर्ष : 2016-17** **(धनराशि हजार रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय 06-अन्य भत्ते					
207000114030006	39850	2720	2520	2520	37330
योग	39850	2720	2520	2520	37330

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030009	6500	8500	2000	2000	8500
207000114030010	62	82	20	20	82

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

207000114030049	1500	2000	500	500	2000
योग	8062	10582	2520	2520	10582

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार एरियर, विशेष उड़ान भत्ते आदि देयकों का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप सम्भावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है- निदेशालय स्थित हैंगर, वी0आई0पी0 लाउन्ज, आवासीय कालोनी एवं रमाबाई अम्बेडकर अतिथि गृह के लम्बित विद्युत देयकों के भुगतान, जलकर, कार्यालय हेतु फर्नीचर/उपकरण क्रय एवं कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप व्ययाधिक्य हो रहा है। 3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। (एस0के0 रघुवंशी) सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।	आर.ई. संख्या- ई-7-261/दस-2016, दिनांक : 20 दिसम्बर, 2016 सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। हस्ताक्षर ..... (अवधेश कुमार खरे) अनु सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
संख्या : 99/2016/1542(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) 6- गार्ड बुक।	(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी) अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in